



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

558516

6



1603, रकबा 0.0890 हे० शून्य दशमलव शून्य आठ नो शून्य
 हैक्टेयर व 1604, रकबा 0.3040 हे० शून्य दशमलव तीन शून्य चार
 शून्य हैक्टेयर व 1605 मि०, रकबा 0.0630 हे० शून्य दशमलव शून्य
 छः तीन शून्य हैक्टेयर व 1606/2, रकबा 0.1010 हे० शून्य
 दशमलव एक शून्य एक शून्य हैक्टेयर व 1607, रकबा 0.1900 हे०
 शून्य दशमलव एक नो शून्य शून्य हैक्टेयर व 1608, मि०, रकबा 0.
 1640 हे० शून्य दशमलव एक छः चार शून्य हैक्टेयर कुल 25
 पच्चीस नम्बर कुल रकबा 4.6230 हे० चार दशमलव छः दो तीन
 शून्य हैक्टेयर, में अपने समस्त भाग की भूमि 0.2682, 1/2 हे०

देवेंद्र मिश्रा



अनिल कुमार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

558517

. 7 .

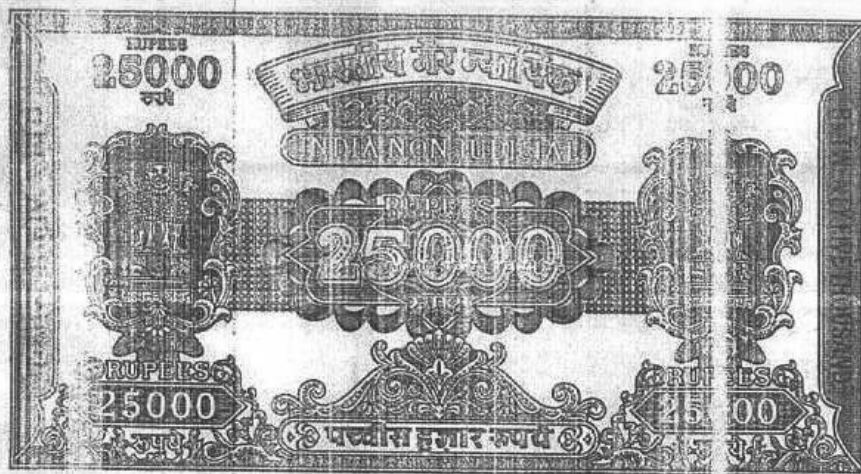
12 FEB 2008

शून्य दशमलव दो छः आठ दो सही एक बटा दो हैक्टेयर स्थित ग्राम जाटौली, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ के प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी तथा संक्रमणीय भूमिधर है तथा उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष विक्रेता की ओर से आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण एवं भार आदि से उन्मूक्त है तथा वैधानिक त्रुटियों एवं दोषों से मुक्त एवं रहित है और प्रथम पक्ष विक्रेता को अपनी उपरोक्त भूमि को विक्रय तथा हस्तान्तरित आदि करने के समस्त स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त हैं। कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष प्रथम पक्ष के विक्रय अधिकारों में बाधक

7

द्वे-सिद्धि

अनिल कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

558518

8 12 FEB 2008

नहीं है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में बन्धक नहीं किया है तथा वह सभी प्रकार के भारों से मुक्त है। उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष के संक्रमणीय अधिकारों की भूमि है तथा उसका कोई काश्तकार शिकमी या साझी, जैली व काबिज नहीं है तथा मौके पर प्रथम पक्ष की काश्त मौजूद है। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में आज की तिथि तक की कोई कार्यवाही एक्ज्यूजीशन या रिक्यूजीशन आदि की किसी न्यायालय अथवा कार्यालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त भूमि नगर, भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी

8

देव-शर्मा

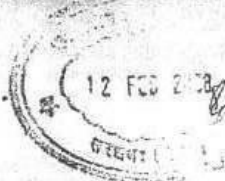
श्रीलाल गुप्ता



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

558519

9

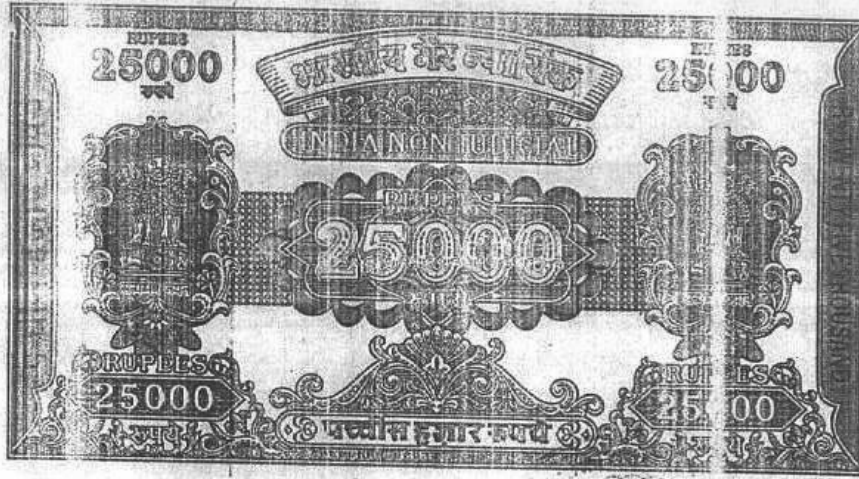


रूप में अतिरिक्त घोषित नहीं है और उसके सम्बन्ध में धारा 10 (3) व धारा 10 (5) का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमि कृषि की भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में अंकित है। उपरोक्त भूमि का मूल्य अंकन 53,65,000/- तरेपन लाख पैंसठ हजार रुपये तय है जो अति उचित एवं वर्तमान बाजारी मूल्य के अनुकूल है। इससे अधिक मूल्य मिलने की वर्तमान समय में कोई आशा नहीं है। प्रथम पक्ष अन्य कृषि भूमि क्रय करना चाहते हैं, इसलिये इस भूमि को विक्रय कर देना उचित समझा गया है तथा विक्रय करने से सभी प्रकार से लाभ एवं भलाई

द. व. शर्मा

9

अ. न. सु. पा. र. म.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12 FEB 2008

558520

10

दृष्टिगत है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुए किसी स्वत्व एवं अधिकार के चाहे उनका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्थिर मस्तिष्क एवं स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अंकन 53,85,000/- तरेपन लाख पैंसठ हजार रुपये कि आधे जिसके अंकन 26,82,500/- छब्बीस लाख बयासी हजार पांच सौ रुपये होते हैं, विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते मै0 अंसल हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, 15-यू.जी.एफ., 21-बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली, द्वारा अधिकृत श्री राजेन्द्र शर्मा

10

देवेन्द्र सिंह

888

अमित गुप्ता



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12 FEB 2008

558521

11

पुत्र श्री सी0बी0 शर्मा निवासी केयरआफ मैसर्स अंसल हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, 15-यू.जी.एफ., 21-बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली को विक्रय कर दिया और बेच डाला और समस्त विक्रय मूल्य रास्ते की सुविधा हेतु नकद घर पर प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से प्राप्त करके विक्रित भूमि को अपने अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया। अब प्रथम पक्ष विक्रेता का कोई अधिकार या स्वत्व विक्रित भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष

11

देवे-शर्मा



[Signature]

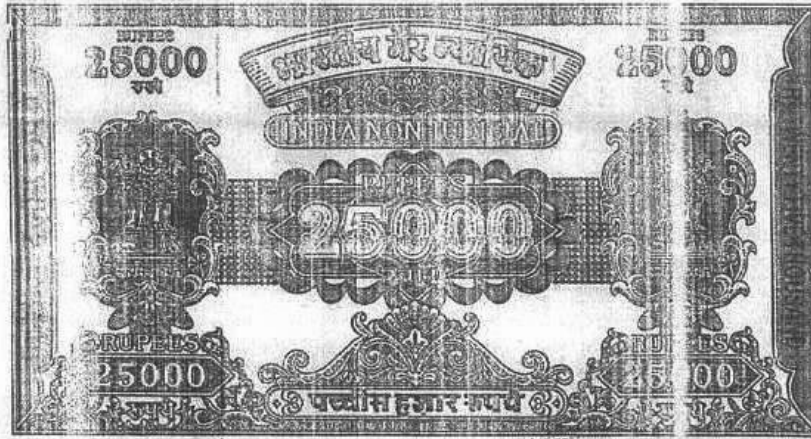


महेश कुमार



[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

558522

12 12 FEB 2008

नहीं रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पूर्णतया उचित वैधानिक एवं मान्य है तथा प्रयोग होने योग्य है। कब्जा विक्रित भूमि का स्थल पर कतई खाली का द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है तथा क्रेता ने विक्रित भूमि का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर प्राप्त कर लिया है। क्रेता उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में ला सकेंगे। किसी को कोई आपत्ति न होगी। क्रेता अपना नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित कराने के पूर्ण अधिकारी रहेंगे यदि इस हेतु प्रथम पक्ष विक्रेता की सहमति एवं रजामन्दी प्रस्तुत करने की

12

द्वे ५/१२
५/१२
अहिल ठापा ००००